

क्रमांक :- देवाआवि / युसु / टों / 2017-18/239

दिनांक-13-09-2017

**निविदा सूचना**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय हेतु जॉब बेसिस सेवा कार्य/सेवाओं हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों, राक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से मोहर बन्द लिफाफों में निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 03.10.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक बेची जायेगी। निविदाएं दिनांक 04.10.2017 को अपरान्ह 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाई जाकर उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे उपस्थित निविदाताओं एवं क्रय कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
01.	जॉब बेसिस रसोईयों की सेवाएँ हेतु	4.20	8400.00	200.00
02.	जॉब बेसिस सेवाएँ-चौकीदारी, सफाईकर्म, च.श्रे. कर्मचारी, वागवान, विधुत कम प्लम्बर	9.90	19800.00	200.00

**निविदा आमन्त्रण की शर्तें :-**

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक लिफाफे पर मोटे एवं स्पष्ट अक्षरों में निविदादाता फर्म का नाम, पता एवं कार्य का उल्लेख करना होगा। पेन्सिल से भरी हुई निविदाएं मान्य नहीं होगी।
2. निविदा के साथ अमानत राशि नकद स्वीकार्य नहीं होगी। निर्धारित राशि का डी.डी./बैंकर चैक, जो प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, युसुफपुरा, टोंक के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र विद्यालय समय में प्रातः 10:00 से अपरान्ह 2:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को नकद क्रय की जा सकती है।
4. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर विद्यालय क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नहीं खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।
6. डाक से भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होगी शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदाएं आमन्त्रण की सूचना निर्धारित प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विभागीय वेबसाईट एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।
8. सामान्य वित्त व लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।
9. निविदादाताओं को तकनीकी व वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफों में सीलबन्द कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा अवधि 30.09.2018 तक मान्य है।

81  
प्रधानाचार्य

राजकीय देवनारायण बालिका  
आवासीय विद्यालय युसुफपुरा  
टोंक

क्रमांक :- देवाआवि / युसु / टों / 2017-18/240-244

दिनांक 13-09-2017

**प्रतिलिपि:-**

1. निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान।
2. उपनिदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस) जयपुर राजस्थान।
3. निदेशक महोदय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार आपकी विभागीय वेबसाईट पर राज्य स्तरीय किसी भी एक पत्रिका में प्रकाशन का श्रम करे।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावे।
5. नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र टोंक कलेक्ट्रेट / सान्याअवि टोंक / कोष कार्यालय टोंक।

प्रधानाचार्य

राजकीय देवनारायण बालिका  
आवासीय विद्यालय युसुफपुरा  
टोंक